

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, 2026
2.	राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेंस पॉलिसी - 2026
3.	राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी - 2025
4.	राजस्थान में 'परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)'
5.	47वीं अखिल भारतीय विद्युत पॉवरलिफ्टिंग और बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. 'बैटलफील्ड थंडर' अभ्यास 2. डॉ. अश्विन एम. दलवी : पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक 3. ताइक्वांडो कोच नितिन जोलिया 4. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (BMCHRC) और भारतीय सेना के मध्य MoU 5. टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर (TEFC) : जयपुर
7.	साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025
8.	गुंटूर में गजपति शिलालेख
9.	नारियल उत्पादन
10.	संसदीय स्थायी समिति
11.	लद्दाख: राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की माँग
12.	राष्ट्रीय क्वांटम मिशन



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, 2026



चर्चा में क्यों?

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 मार्च, 2026 को जयपुर से 'राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, 2026' का आधिकारिक विमोचन किया।



मुख्य बिन्दु:

- अनुमोदन : 25 फरवरी, 2026 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा।
- उद्देश्य : औद्योगिक विकास को गति देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।

--2--

- प्रस्तावित नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए चार मॉडल निर्धारित किए गए हैं।
 - मॉडल - A : पूर्णतः रीको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास।
 - मॉडल - B : 80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण एवं शेष 20 प्रतिशत भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर।
 - मॉडल - C : संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था।
 - मॉडल - D : पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)।
- नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी।
- **पूँजी अनुदान** : राज्य सरकार औद्योगिक पार्क के लिए सामान्य अवसंरचना विकास पर 20 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान देगी।
 - श्रेणी - I : 100 एकड़ तक के पार्क हेतु अधिकतम ₹20 करोड़।
 - श्रेणी - II : 100 से 250 एकड़ हेतु अधिकतम ₹30 करोड़।
 - श्रेणी - III : 250 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल हेतु अधिकतम ₹40 करोड़।
- **हरित विकास** : हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) पर व्यय का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹12.5 करोड़/पार्क) का प्रावधान भी किया गया है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RIICO)

- RIICO एक सरकारी उपक्रम है, जिसकी स्थापना 28 मार्च, 1969 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम (RSIMDC) के रूप में की गई थी।

- 1 जनवरी, 1980 को इसे दो अलग-अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया गया:
 1. **RIICO** - राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
 2. **RSMDC** - राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम।

मुख्य कार्य:

- RIICO ने राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह राज्य के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Areas) का विकास करता है।
- एक वित्तीय संस्था के रूप में यह छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराता है।
- उद्योगों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बुनियादी ढाँचे के विकास में सहयोग प्रदान करता है।
- वर्ष 2021-22 में, RIICO को COSIDICI द्वारा देश की सबसे श्रेष्ठ SIIDC (राज्य औद्योगिक विकास निगम) के रूप में सम्मानित किया गया।
- राज्य भर में 33 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जो औद्योगिक क्षेत्रों के कुशल संचालन और प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं।


राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेंस पॉलिसी - 2026

चर्चा में क्यों?

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 मार्च, 2026 को जयपुर में आयोजित 'उद्यमी संवाद समारोह' के दौरान 'राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी-2026' का औपचारिक विमोचन किया।

मुख्य बिन्दु:

- अनुमोदन** : राजस्थान मंत्रिमण्डल द्वारा 21 जनवरी, 2026 को।
- उद्देश्य** : प्रदेश में रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना तथा राजस्थान को एयरोस्पेस और डिफेन्स मैनुफैक्चरिंग का हब बनाना।
- इस पॉलिसी के तहत MSMEs, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- नीति के अंतर्गत एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स मैनुफैक्चरिंग यूनिट, उपकरण एवं घटक निर्माता, सप्लायर एवं प्रिंसीजन इंजीनियरिंग यूनिट MRO (मेंटेनेन्स, रिपेयर एवं ओवरहॉलिंग) इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- यह नीति प्रदेश में रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के साथ ही राजस्थान को एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स मैनुफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।



Daily Current Affairs

Date : 19 March, 2026



- निवेश के आधार पर परियोजनाओं का वर्गीकरण : राजस्थान सरकार द्वारा जारी इस नीति में निवेश के आधार पर परियोजनाओं का वर्गीकरण किया गया है।

विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) :

- ₹50-300 करोड़ - लार्ज।
- ₹300-1000 करोड़ - मेगा।
- ₹1000 करोड़ से अधिक - अल्ट्रा मेगा।

सेवा क्षेत्र (Service Sector) :-

- ₹25-100 करोड़ - लार्ज।
- ₹100-250 करोड़ - मेगा।
- ₹250 करोड़ से अधिक - अल्ट्रा मेगा।

प्रमुख प्रोत्साहन (Incentives) :-

- एसेट क्रिएशन इंसेंटिव : नीति के तहत एयरो एण्ड डिफेंस पार्को (A&DP) में लगने वाले पात्र एयरोस्पेस एवं डिफेन्स मैनुफैक्चरिंग और सेवा उद्यमों को एसेट क्रिएशन इन्सेन्टिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य कर के 75 प्रतिशत पुनर्भरण का निवेश अनुदान दिया जाएगा।
- विनिर्माण उद्यमों के लिए 20 से 28 प्रतिशत और सर्विस सेक्टर के लिए 14 से 20 प्रतिशत तक 10 वर्षों में वितरित पूंजीगत अनुदान अथवा 10 वर्षों तक वार्षिक किश्तों में देय 1.2 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक टर्नओवर लिंकड इन्सेन्टिव में से किसी एक विकल्प का चयन करने की सुविधा दी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त इन प्रोत्साहनों पर टॉप-अप के रूप में 10 से 15 प्रतिशत एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, पहली तीन मेगा अथवा अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए 25 प्रतिशत सनराइज बूस्टर, 10 प्रतिशत एंकर बूस्टर, 20 प्रतिशत थ्रस्ट बूस्टर जैसे लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।

--6--

Daily Current Affairs

Date : 19 March, 2026



- रीको से भूमि लेने वाले मेगा, अल्ट्रा मेगा विनिर्माण उद्यमों को 10 वर्षों तक फ्लेक्सिबल लैण्ड पेमेंट और 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत ऑफिस स्पेस हेतु लीज रेंटल सब्सिडी का लाभ भी देय होगा।
- पॉलिसी में विशेष इन्सेंटिव्स का भी प्रावधान किया गया है, जिनमें बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट, फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल, ऑफिस-स्पेस लीज रेंटल सब्सिडी तथा कैप्टिव पावर प्लांट में किए गए निवेश का 51 प्रतिशत पात्र स्थायी पूंजीगत निवेश में शामिल करना शामिल है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- ड्यूंस एविएशन एकेडमी : हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उद्घाटन।
- राजस्थान सरकार द्वारा एविएशन सेक्टर के तीव्र विकास के लिए 'राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति-2024' लॉन्च की गई है।
- इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और राजस्थान को देश का एविएशन हब बनाना है।

--7--

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी - 2025

चर्चा में क्यों?

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 18 मार्च, 2026 को जयपुर से 'राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी - 2025' का औपचारिक विमोचन किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- यह राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति है।
- अनुमोदन** : राजस्थान मंत्रिमण्डल द्वारा 21 जनवरी, 2026 को।
- उद्देश्य** : राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाना।

Daily Current Affairs

Date : 19 March, 2026



- साथ ही, सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के क्षेत्रों में एंकर निवेश को आकर्षित करना, विश्व-स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास करना तथा फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना।
- पॉलिसी के माध्यम से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं कौशल संवर्धन, रिसर्च एवं डवलपमेंट तथा टैक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा दिया जाएगा।
- नीति के अंतर्गत सेमीकंडक्टर पार्कों में अक्षय ऊर्जा, जल दक्षता, पुनर्चक्रण और सर्कुलर पहलों के माध्यम से ग्रीन मैनुफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- नीति में सात वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क भू-रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण शामिल है।
- 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के अंतर्गत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60 प्रतिशत के समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए टर्म लोन पर राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति।
- कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100 प्रतिशत छूट।

--9--

राजस्थान में 'परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)'



चर्चा में क्यों?

- राजस्थान में परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत वर्ष 2015-16 से 31 दिसंबर, 2025 तक 10,057 क्लस्टर विकसित किए गए हैं, जो 2.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं।

परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)

- ▶ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता
- ▶ रसायनों का उपयोग कम कर पर्यावरण-अनुकूल खेती पर जोर
- ▶ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद प्रदान करना

--:10:--



मुख्य बिन्दु:

- देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 से परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- वहीं उत्तर-पूर्वी राज्यों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 'मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (MOVCDNER)' लागू किया गया है।
- इन दोनों योजनाओं के तहत जैविक खेती से जुड़े किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है तथा छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाकर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने पर विशेष बल दिया जाता है।
- दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन : राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा।
- राजस्थान में क्रियान्वयन : कृषि विभाग।
- योजना के अंतर्गत प्रदान राशि : तीन वर्षों में ₹31,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता।
- ₹15,000 प्रति हेक्टेयर की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए।
- ₹4,500 प्रति हेक्टेयर विपणन एवं ब्रांडिंग।
- ₹3,000 प्रति हेक्टेयर प्रमाणन।
- ₹9,000 प्रति हेक्टेयर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए।

47वीं अखिल भारतीय विद्युत पॉवरलिफ्टिंग और बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों?

- 13 से 15 मार्च, 2026 तक कोटा में 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पॉवरलिफ्टिंग और बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- आयोजक** : राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम।
- राजस्थान का प्रदर्शन** : राजस्थान के विद्युत निगमों की पॉवरलिफ्टिंग टीम ने 2 स्वर्ण, 1 रजत व 3 कांस्य पदक सहित 6 पदक जीते।

पदक विजेता:

क्रम	खिलाड़ी	विद्युत निगम	पदक
1.	हरीश मीणा	अलवर	स्वर्ण
2.	अजीत सिंह	भिवाड़ी	स्वर्ण
3.	रूप सिंह यादव	धौलपुर	रजत
4.	रामेश्वर तेली	रावतभाटा	कांस्य
5.	नरेश गोयल	जोधपुर	कांस्य
6.	शाकिर हुसैन	झालावाड़	कांस्य

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>'बैटलफील्ड थंडर' अभ्यास</p> <ul style="list-style-type: none">■ आयोजन : भारतीय सेना की बोगरा ब्रिगेड द्वारा जैसलमेर में।■ इसमें पिनाका और बी-21 ग्रेड जैसे आधुनिक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चरों की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। अभ्यास के दौरान रॉकेट लॉन्चरों, ड्रोन और उन्नत निगरानी प्रणालियों के बीच सटीक तालमेल को परखा गया।
2.	<p>डॉ. अश्विन एम. दलवी : पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, डॉ. अश्विन एम. दलवी को तीन वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (WZCC), उदयपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया।■ वे वर्ष 2017-18 में राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जहाँ उन्हें 'राज्य मंत्री' का दर्जा प्राप्त था।
3.	<p>ताइक्वांडो कोच नितिन जोलिया</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के ताइक्वांडो कोच नितिन जोलिया को वर्ल्ड ताइक्वांडो द्वारा अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो क्यूरूगी प्रशिक्षक की उपाधि प्रदान की गई। ये उपाधि प्राप्त करने वाले वे राजस्थान से एकमात्र ताइक्वांडो प्रशिक्षक हैं।
4.	<p>भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (BMCHRC) और भारतीय सेना के मध्य MoU</p> <ul style="list-style-type: none">■ भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (BMCHRC), जयपुर और भारतीय सेना के मध्य हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।■ इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को विशिष्ट कैंसर उपचार और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

5.

टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर (TEFC) : जयपुर

- केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वस्त्र समिति द्वारा देश में वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर (TEFC) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- इसके तहत देश के प्रमुख वस्त्र क्लस्टरों में पायलट आधार पर जयपुर सहित छह केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- ये केंद्र करूर (तमिलनाडु), सूरत (गुजरात), इचलकरंजी (महाराष्ट्र), जयपुर (राजस्थान), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और लुधियाना (पंजाब) में प्रमुख वस्त्र क्लस्टरों में पायलट आधार पर स्थापित किए जाएंगे।
- जयपुर केंद्र मुख्य रूप से हैंडलूम एवं हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा।



राष्ट्रीय परिदृश्य

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025

चर्चा में क्यों?

- साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की।



Sahitya Akademi Award 2025

मुख्य बिन्दु:

- विजेताओं में पूर्व राजनयिक नवतेज सरना को उनके अंग्रेजी उपन्यास क्रिमसन स्प्रिंग के लिए, हिंदी लेखिका ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए और साहित्यिक आलोचना शैली में तमिल लेखक सा तमिलसेल्वन को थमिज़ सिरुकथैयिन थडंगल के लिए सम्मानित किया गया है।

--:15:--

साहित्य अकादमी पुरस्कार

- **परिचय:** स्थापना 1954 में, भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है (ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद) जो असाधारण साहित्यिक प्रतिभा को मान्यता देता है और देश की समृद्ध बहुभाषी विरासत को बढ़ावा देता है।
- यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है।
- **भाषाई कवरेज:** यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, जिसमें संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाएँ, साथ ही अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएँ शामिल हैं।
- **पात्रता:** यह कृति पुरस्कार वर्ष से पूर्व के 5 वर्षों के भीतर प्रकाशित एक मौलिक रचना होनी चाहिए। लेखक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।

इतिहास एवं संस्कृति

गुंटूर में गजपति शिलालेख

चर्चा में क्यों?

- आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में गजपति राजवंश से संबंधित एक मध्ययुगीन शिलालेख की खोज की गई है।



मुख्य बिन्दु:

- यह शिलालेख मंदिर के मंडप में स्थित एक पत्थर के स्तंभ पर उत्कीर्ण है।
- इसमें कुमारगुरु महापात्रा का उल्लेख है, जो 15वीं शताब्दी ईस्वी में पुरुषोत्तम देव के अधीन सेवारत एक अधिकारी थे।
- यह शिलालेख मूल रूप से कोंडावेदु के भगवान मल्लिकार्जुन को समर्पित था, लेकिन बाद में इसे गुंटूर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया।
- इसमें दूध चढ़ाने जैसी मंदिर की रस्मों का भी जिक्र है और स्थानीय समुदायों द्वारा गायों के प्रबंधन का भी उल्लेख है।
- इन निष्कर्षों से हरि-हारा पूजा की प्रथा का पता चलता है, जो शैव और वैष्णव मान्यताओं को मिलाकर एक समन्वित परंपरा का संकेत देता है।

--:17:--

गजपति राजवंश

- गजपति राजवंश एक शक्तिशाली मध्ययुगीन साम्राज्य था जिसकी उत्पत्ति ओडिशा में हुई और यह 15वीं-16वीं शताब्दियों के दौरान फला-फूला।
- पूर्वी गंगा राजवंश के पतन के बाद कपिलेंद्र देव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
- अपने चरम पर, यह साम्राज्य वर्तमान पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से लेकर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी कटक (आधुनिक कटक) थी।
- गजपति शासक कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षण के लिए जाने जाते थे, और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के साथ निरंतर प्रतिद्वंद्विता बनाए रखी।



--:18:--

भूगोल एवं भू-विज्ञान

नारियल उत्पादन

चर्चा में क्यों?

- भारत विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक नारियल उत्पादन में इसका योगदान 30.37% है।



मुख्य बिन्दु:

- **पौधे का प्रकार:** नारियल एक बारहमासी बागान फसल है और एरेकेसी कुल से संबंधित एकबीज पत्री ताड़ का पौधा है।
- **जलवायु संबंधी आवश्यकताएँ:** नारियल के विकास के लिए गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु आवश्यक है। यह 25°C से 30°C के बीच तापमान वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह उगता है और इसे पर्याप्त और समान रूप से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है।

Daily Current Affairs

Date : 19 March, 2026



- **मिट्टी की आवश्यकताएँ:** अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट, जलोढ़, लेटराइट और तटीय मिट्टी।
- **भारत में वितरण:** यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा और पश्चिम बंगाल में उगता है।
- **नारियल संवर्धन योजना (बजट 2026-27):** इसका उद्देश्य उन्नत किस्मों के पुराने पेड़ों को फिर से लगाकर उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- यह पहल उच्च मूल्य वाली कृषि के लिए आवंटित 350 करोड़ रुपये के व्यापक बजट का हिस्सा है, जिसमें नारियल, काजू और कोको शामिल हैं।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:20:--

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

संसदीय स्थायी समिति

चर्चा में क्यों?

- वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट ने योजना मंत्रालय और नीति आयोग की निधियों के कम उपयोग और खराब वित्तीय प्रबंधन के लिए आलोचना की है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में खर्च 36% से नीचे गिर गया है।



मुख्य बिन्दु:

संसदीय स्थायी समिति

- संसदीय स्थायी समितियाँ (पीएससी) संसद की स्थायी समितियाँ हैं जिनका गठन कार्यपालिका के कामकाज की जाँच, छानबीन और निगरानी करने के लिए किया जाता है।
- ये समितियाँ पूरे वर्ष कार्य करती रहती हैं, जबकि तदर्थ समितियाँ अस्थायी होती हैं।

--:21:--

संसदीय स्थायी समितियों के प्रकार:

- **विभाग-संबंधी स्थायी समितियाँ:** ये मंत्रालयों के अनुदान अनुरोधों, उन्हें भेजे गए विधेयकों और नीतिगत मुद्दों की जाँच करती हैं। उदाहरण: वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति।
- **वित्तीय समितियाँ:** लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और लोक उपक्रम समिति।
- **अन्य स्थायी समितियाँ:** व्यापार सलाहकार समिति, विशेषाधिकार समिति और नियम समिति।

संसदीय स्थायी समितियों की भूमिका

- **संसद से परे विस्तृत वित्तीय जाँच:** संसदीय बहसों में अक्सर बजटीय प्रावधानों की विस्तृत जाँच के लिए समय की कमी होती है।
- **स्थायी समितियाँ अनुदान की माँगों, व्यय के रुझानों और उपयोग के तरीकों की गहन जाँच करती हैं।**
- **साक्ष्य-आधारित और निष्पक्ष निगरानी:** समितियाँ निष्पक्ष तरीके से कार्य करती हैं, विशेषज्ञों के सुझावों और आँकड़ों पर आधारित विश्लेषण पर निर्भर करती हैं। उनकी रिपोर्ट नीति कार्यान्वयन और वित्तीय अनुशासन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करती हैं।
- **कार्यपालिका की निगरानी:** समितियाँ पूरे वर्ष कार्यरत रहती हैं और मंत्रालयों एवं विभागों पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित करती हैं। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

लद्दाख: राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की माँग

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में लद्दाख में राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की माँग को लेकर विरोध प्रदर्शन रैलियाँ आयोजित की गईं।



मुख्य बिन्दु:

- संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद, लद्दाख 2019 में बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
- एक साल बाद, लेह और कारगिल जिलों वाले क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जिसमें लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, इसे आदिवासी दर्जा देने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग संसदीय सीटें जैसी संवैधानिक सुरक्षा उपायों की माँग की गई।

संविधान की छठी अनुसूची

- छठी अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अपनाया गया था, जिसमें राज्य के भीतर स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन के प्रावधान शामिल थे।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में आधिकारिक तौर पर 'जनजातीय क्षेत्र' कहे जाने वाले क्षेत्रों पर लागू होती है। वर्तमान में इन चारों राज्यों में ऐसे 10 'जनजातीय क्षेत्र' हैं।
- इन विभागों को, एडीसी के रूप में, राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी।
- **संरचना:** छठी अनुसूची के अनुसार, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र का प्रशासन करने वाले एडीसी में 30 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
- असम में स्थित बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद इसका अपवाद है, जिसमें 40 से अधिक सदस्य हैं और 39 मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है।
- **अधिकार क्षेत्र:** एडीसी भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम परिषदों, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तरीय पुलिसिंग, संपत्ति के उत्तराधिकार, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाजों और खनन आदि से संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों को बना सकते हैं।
- एडीसी के पास ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अदालतें गठित करने की शक्तियाँ भी हैं जहाँ दोनों पक्ष अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों और अधिकतम सजा 5 साल से कम कारावास हो।
- राज्यपाल स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) और क्षेत्रीय परिषदों के कामकाज के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है।

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 📌

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन

📢 चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत, 23 शैक्षणिक संस्थानों को क्वांटम शिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, और वर्तमान में 100 से अधिक अतिरिक्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।



📌 मुख्य बिन्दु:

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन

- **परिचय:** एनक्यूएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की एक प्रमुख पहल है, जिसके लिए 2023-24 से 2030-31 की अवधि के लिए कुल 6,003 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- **उद्देश्य:** NQM का उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, पोषित करना और उसका विस्तार करना है ताकि प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास को गति दी जा सके और स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण किया जा सके।

--:25:--